20.7.23 पत्रावली पेश उप. विप्रार्थी सं. 2 व 3 के वकील उपस्थित बहस सुनी गयी पत्रावली वास्ते बहस आदेश 3.8.23 को पेश हो

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

3.8.23 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी महो. का 46 रिक्तता होने से पत्रावली स्थगित होकर आदेश 31.8.23 को पेश हो

31.8.23 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी महो. अन्य दीगर प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने से पत्रावली स्थगित होकर आदेश 12.10.23 को पेश हो

12.10.23 वकील वादी / प्रार्थी उपस्थित । पीठासीन अधिकारी दिगर प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है।
पत्रावली वास्ते बहस
दिनांक 7.12.2023 को पेश हो।

07-12-2023 पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थीगण के वकील उप0। विप्रार्थी सं. 2 व 3 के वकील उप0।

बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थीगण की बहस है कि प्रार्थीगण ने ग्राम प्रभूनगर तहसील सिणधरी की ख.सं. 686/613, 687/613,688/613, 689/613, 690/613 कुल रकबा 15-1666 हैक्टयर भूमि के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:41:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

खातेदार वालाराम के फौत होने पर दायर ना0क0सं0 47 पा पारित सरपंच ग्राम पंचायत सड़ा धनजी द्वारा बिना हितबद्व समस्त पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये पारित आदेशों के विरूद्व अपील प्रस्तुत की है, जिसमें वर्णित तथ्यों के आधार पर अपीलांटस् को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। अपीलांटस् मृत वालाराम के उससे पूर्व फौत पुत्री अणदू के पुत्र–पुत्रियां, होने से उसकी विरासत में हक रखते है। सरपंच ग्राम पंचायत सड़ा धनजी ने वालाराम के दो वारिसान उसकी पत्नी व पुत्र तुलसी व देवाराम के नाम से आदेश पारित किये, किंतु वालाराम की पुत्री अणदू के वारिसान के नाम छोड़ दिये। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में प्रविष्टि नहीं होने के आधार पर विप्रार्थी सं. 2 व 3 ने उक्त भूमि का बेचान कर दिया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अतः विप्रार्थी सं. 2 व 3 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखलदांजी नहीं करे और मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

इसके विपरीत वकील विप्रार्थी सं. 2 व 3 की बहस है कि अपीलांट का मुतवफी बालाराम से होई रक्त संबंध नहीं है। बालाराम के वैध वारिसान के रूप में सरपंच ग्राम पंचायत सड़ा धनजी ने विप्रार्थी सं. 2 व 3 के नाम सही रूप से पारित किया है। प्रार्थीगण ने विप्रार्थी सं. 2 व 3 की भूमि हड़पने की नीयत से यह अपील प्रस्तुत की है, जो स्पष्ट रूप से म्याद बाहर होने से भी काबिल खारिज है। अपीलांट बालाराम के दोहिते–दोहितियों स्वयं को दस्तावेजात् के आधार पर साबि करने में विफल रहे है। इसके अतिरिक्त सिविल न्यायालय से प्रोबेट प्रमाण पत्र वारिस होने बाबत प्राप्त करने के बाद ही राजस्व न्यायालय में वे [illegible] सकते है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन विधि एवं न्यायिक [illegible] विरुद्ध होने तथा इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं होने से खारिज किया जावे। अपनी दलील के समर्थन में वकील विप्रार्थी सं. 2 व 3 ने RRT2022(1) पृष्ठ 114 व DNJ(Rev)2022(1) पृष्ठ 847 की नजीरें प्रस्तुत की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:41:04 IST
Reason: SelfAttested

हमनें दोनों पक्षों की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर [illegible] किया।

अधिनस्थीन नाक मुतवफी बालाराम की फौतगी पर उसके वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड मैंअमलदरामद करवाने हेतु पारित किया गया था। प्रार्थीगण ने स्वयं को बालाराम की उससे पहले फौत हो चुकी उसकी पुत्री अणदू के पुत्र–पुत्रियों की हैसियत से विवादित भूमि में नाम दर्ज करवाने हेतु अपील प्रस्तुत की है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रथम दृष्टया उनका बालाराम की मृत पुत्री अणदू के पुत्र–पुत्रियां होने के तथ्य को बल मिलता है। जंहा तक विप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में दी गई दलीलों में प्रार्थीगण्य के वारिसाना हकों का खण्डन करने के बजाय तकनीकी खामियां दर्शाने पर ही जोर रहा है।विवादित भूमि का विप्रार्थी द्वारा बेचान या हस्तांतरण किये जाने की स्थिति में प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की आशंका होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है तथा विवादित भूमि की मौके एवं रिकाड की यथास्थिति बनाये रखने की स्थिति में किसी भी पक्ष को क्षति होने की संभावना नहीं है। विप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम प्रभूनगर तहसील ~~सिणधरी~~ की ख.सं. 686/613, 687/613,688/613, 689/613, 690/613 कुल रकबा 15–1668 हैक्टयर भूमि के संबंध में मूल अपील के निस्तारण तक विप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करने एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाते है।

आदेश आज दिनांक 07.12.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:41:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी